फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

राजेश कुमार बनाम चान्दीराम

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 62 सन–2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.04.2019	प्रार्थी की ओर से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आगामी तिथि तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 इस आशय की जारी की जाती है कि वे विवादित आराजी खाता संख्या 50/44 की कुल तादादी 3.829हैक्ट , में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा चक 18 डीपीएन एवं अराजी खाता संख्या 68/153 की कुल तादादी 2.2770हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा चक 16 डीपीएन तथा अराजी खाता संख्या 43/41 की कुल 1.5170हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा चक 3 आरएमजी यानी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज तीनों चकों की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधारित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किया जा सकता है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जावे व उक्त आदेश जारी होने के पश्चात तीन दिवस के अन्दर तलबी रजिस्टर्ड रसीद प्रार्थी अभिभाषक आवश्यक तौर पर पेश करे पत्रावली वास्ते तलवी अप्रार्थीगण दिनांक 27.05.2019 को पेश हो। सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी नोहर	
27/5/19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान जी के ... [illegible] अन्य कार्यों में व्यस्त ... [illegible] स्थगित है। पत्रावली दि. ... को पेश हो 5-8-19	
5/8/19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान जी के ... [illegible] स्थगित ... [illegible] पत्रावली दि. ... को पेश हो 15-10-19	

Scanned with CamScanner

15/10/19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब का [illegible] प्रतिवादी मय तलबी पत्रावली दि. 6.11.19 को पेश हो।
6.11.19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अवकाश बार संघ नोटिस का कार्य स्थगित हो पत्रावली दि. 24.12.19 को पेश हो।
24.12.19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब [illegible] वकील साहब उपस्थित [illegible] तलबी पत्रावली दि. 14.3.20 को पेश हो।
16/3/20	वकील साहब उपस्थित [illegible] की तलबी हेतु सम्मन पेश नहीं किये रजिस्टर्ड सम्मन पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है पत्रावली दिनांक 5/5/20 को पेश हो।
5.5.20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्य C.V. सुरक्षा के मद्देनजर तलबी हेतु पत्रावली दि. 14.7.20 को पेश हो।
14/7/20	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन पेश नहीं किये मन आवश्यक तौर से रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें पत्रावली दिनांक 21/10/20 को पेश हो।
21/10 12/[illegible]/20	वकील वादी उपस्थित प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई वकील साहब ने निवेदन किया की वह प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते लिहाजा [illegible] आधार [illegible] प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के आधार खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नाहर